

संयोजित प्रमुख अभियन्ता
(सिंचाई-सहायक अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-1318/आई०बी०/229-108वी/अनु०-94/पूँजीगत/वाघटन/डिकीटल/2017-18, लखनऊ दिनांक मार्च 09, 2018
कार्यालय ज्ञान

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-30/1899/17-27-सि-3-17 रिया/2018, दिनांक-13.03.2018 द्वारा लेखाशीर्षक- 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या-28919/2017 बलिशज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में म० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 के अनुपालन हेतु धनराशि रु 4,32,480.00 (रुपये चार लाख बत्तीस हजार चार सौ अस्ती मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है :-

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 09-शारदा सहायक (वाणिज्यिक) 050-भूमि 10-नहरें 1016-भू-प्रतिकर 24-वृहत्त निर्माण कार्य	शारदा सहायक, लखनऊ	4,32,480.00

(रुपये चार लाख बत्तीस हजार चार सौ अस्ती मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आरंभन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-15.03.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सि० एवं ज० सं० वि०।

संख्या-जी-1318/(1)/आई०बी०/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
4. मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुभवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
7. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-6, सिंचाई भवन एनेन्सी, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जौनपुर।
11. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
12. कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि० वि०।